OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

(57)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs.** SONIKA.......... **I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block -Bhilangana area measuring **4.410 hect**. for **Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...NEW TEHRI

Dated:...14.5.18

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

Annexure-1

(50)

Form-1

For linear projects

Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 473/XXVI-50 2018-19 Dated 14/5/19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of linear projects it is certified that **4.410 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot, Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails within jurisdiction of Aali,Saruna,Mundeti,Chaunra,Kot,Karkhedi,Ghanatgaon and Chanji village (s) In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

(a) The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to .... annexure......................,

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal

12
18-19
XXVI 50
316 14/5/19

Signature
(सचिनिका)
(............)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District collector
Tehri Garhwal

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु 0.770 है0 आरक्षित वन भूमि, 3.640 है0 सिविल एवं सायेम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा मं हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील--घनसाली) की दिनांक– 5/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी० पी० चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :–

1. श्री सी० पी० चौहान .... उपजिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री .... उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3. श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। सदस्य/सचिव।
4. श्री .... बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना। सदस्य।

उप जिलाधिकारी घनसाली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु परियोजना हेतु 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत क़िसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(60)

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र क अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगाँव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 4.410 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास बिभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

उप जिलाधिकारी
घनसाली

पत्रांक :– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

उप जिलाधिकारी
घनसाली

कायालय उपाजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति,
टिहरी गढवाल।

(5)

आज दिनांक–8/8/15........ को जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री ती.एन. चौहान	उपजिलाधिकारी, घनसाली	उप जिलाधिकारी घनसाली
2	वी.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...	
3	श्री दर्शन लाल आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना (टिहरी गढवाल)
4	रघुवीर सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना	रघुवीर सिंह रावत सदस्य जिला पंचायत

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge. scheme regarding FRA is ad following .

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire **4.410 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल।

(रघुवीर सिंह रावत, सदस्य, जिला पंचायत, 33, हडियाणा ..., पट्टी हिन्दाव, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड))

समाज कल्याण अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

(जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

(प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी)

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली

CS

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

( )
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र--23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चौंरा

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु ...... है0 आरक्षित वन भूमि 1.015 है0 सिविल सोयम भूमि - है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.015 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौंरा द्वारा दिनांक–28.7.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौंरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड भिलंगना
जनपद–टिहरी गढवाल

हस्ताक्षर
दिनांक 28-7-2016
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 2: .1

दिनांक 28-7-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	गोविन्द सिंह S/o शेर सिंह	गोविन्द सिंह
2	डब्बल सिंह S/o हीरा सिंह	डब्बल सिंह
3	दाताराम S/o नागेन्द्र दत्त	दाताराम
4	जमुना प्रसाद S/o इन्द्र दत्त	जमुना प्रसाद
5	मोहन लाल S/o कोल राम	मोहन लाल
6	कुन्दन लाल S/o कृष्ण राम	कुन्दन लाल
7	सरोप सिंह S/o ध्यान सिंह	सरोप सिंह
8	बच्चन सिंह S/o नारायण सिंह	बच्चन सिंह
9	मेर सिंह S/o शेर सिंह	मेर सिंह
10	तेज सिंह S/o जगत सिंह	तेज सिंह
11	बलवीर सिंह S/o बाल्म सिंह	बलवीर सिंह
12	अनुसूया प्रसाद S/o देवेश्वर रकुड़ी	अनुसूया प्रसाद
13	चिन्तामणी S/o दायराम	चिन्तामणी
14	सुबोधनी देवी W/o गंगा प्रसाद	सुबोधनी देवी
15	प्रेमा देवी W/o राम प्रसाद	प्रेमा देवी
16	मासन्तु लाल S/o कुसरी	मासन्तु लाल
17	यशोदा देवी W/o प्रकाश	यशोदा देवी
18	पुष्पा देवी W/o कुंवर सिंह	पुष्पा देवी
19	गंगा देवी W/o मोहन सिंह	गंगा देवी
20	अनीता देवी W/o विक्रम सिंह	अनीता देवी

सुनीता देवी
28-7-2016

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– भौड़गांव (घणातगाँव)
तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु 0.77 **है0 आरक्षित वन भूमि** 1.87 **है0 सिविल सोयम भूमि** — **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** 2.64 **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष मं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** ग्रा० भौड़गांव द्वारा दिनांक–13/8/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घणातगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 13/8/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	कुंवर सिंह s/o [illegible] सिंह ग्राम [illegible]	कुंवरसिंह [illegible]
2	हुकम देवी w/o [illegible] सिंह	हुकमदेई
3	[illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह [illegible]	राधा देवी
4	सुशीला देवी w/o प्रेम सिंह	सुशीला
5	उर्मिला w/o अवतार सिंह	उर्मिला
6	निर्मला w/o केदार सिंह	निर्मला
6	[illegible] सिंह s/o [illegible] सिंह	[illegible]
7	इन्दु देवी w/o [illegible] सिंह	इन्दु देवी
8	राजेश्वरी w/o [illegible] सिंह	राजेश्वरी
9	[illegible] w/o [illegible] सिंह	[illegible]
10	[illegible] देवी w/o [illegible] सिंह	सीता देवी
11	मीना देवी w/o विरेन्द्र सिंह	
12	सुषमा w/o सुरेन्द्र सिंह	सुषमा
13	कुसुम w/o राजेन्द्र सिंह	कुसुम
14	राजेन्द्र सिंह पुत्र [illegible] सिंह	Rajendra

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] सुषमा

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कोट
तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु ....–.... **है0 आरक्षित वन भूमि** 0.007 **है0 सिविल सोयम भूमि** ....–.... **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** 0.007 **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष मे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यांवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** कोट .... द्वारा दिनांक 13/8/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...कोट..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड..............
टिहरी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 13/8/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोटि हिन्दाव

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह ग्राम कोटि हिन्दाव	चन्द्र सिंह
2	भरत सिंह पु. शेर सिंह रावत 〃	B.S.Rawat
3	जवर सिंह पु. रूपचन्द सिंह 〃 〃	जवर सिंह
4	सुशीला w/o अवतार सिंह 〃 〃	शशीला देवी
5	सैन सिंह s/o इन्द्र सिंह 〃 〃	सैनार सिंह
6	भगवान सिंह पु. भाग सिंह 〃 〃	भगवान सिंह
7	अमरराज पु. हुकम सिंह 〃	अमरराज
8	शिवानन्द पु. जगतराम 〃	शिवानन्द
9	सीमा देवी w/o बलवीर सिंह	सीमा देवी
10	विनीता w/o राजेन्द्र सिंह	विनोद
12	रामानन्द ग्रा. [illegible] 〃 〃	रामानन्द
13	चैतराम पु. मैथानन्द	[illegible]
14	विमला देवी w/o पुरषोत्तम 〃	[illegible]
15	यशोदा देवी w/o नारायण दत्त 〃 〃	यशोदा
16	राजेश्वरी देवी w/o मोहन लाल 〃 〃	राजेश्वरी
17	प्रदीप पु. केशवानन्द	प्रदीप
18	अंजू देवी w/o [illegible] ग्रा. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री	अंजू देवी
19	[illegible] ग्राम कोटि हिन्दाव	[illegible]
20		
21		

[illegible signature]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेडी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......सरूणा.....
तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु ......0.43...... **है0 आरक्षित वन भूमि** .....0.43..... **है0 सिविल सोयम भूमि** ....–....... **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** .....0.43..... **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** –सरूणा......... द्वारा दिनांक–3-11-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...सरूणा... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत सरूणा पट्टी ग्यारहगांव, विकास खण्ड भिलंगना (टि0 ग0) — हस्ताक्षर: प्रदीप कुमार, दिनांक ....)

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 3-11-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - सरूणा

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवारियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	मदन सिंह	मदनसिंह
2	किशन सिंह	किशनसिंह
3	प्रताप सिंह	प्रतापसिंह
4	गुलाब सिंह	गुलाबसिंह
5	सोना देवी	सोना देवी
6	लक्ष्मी भण्डारी	लक्ष्मी भण्डारी
7	धनवीर सिंह	धनवीर सिंह
8	सरस्वती	सरस्वती
9	रमेश सिंह	रमेशसिंह
10	रघुवीर सिंह	रघुवीरसिंह
11	अवतार सिंह	अवतारसिंह
12	-	[illegible]
13	करण सिंह	करणसिंह
14	शूरवीर सिंह	शूरवीरसिंह
15	शूरवीर	शूरवीर
16	जयेन्द्र	जयेन्द्र सिंह
17	धीरज	[illegible]
18	शैलेन्द्र	Dheeraj
19		शैलेन्द्र
20	कोमल	[illegible]
21	शीतल भण्डारी	KomAL
22	लखवीर	शीतल भण्डारी
23	शशी देवी	लखवीर
24	सूरज	शशी देवी
25	आशीश	Suraj
26	सोना देवी	Ashish
27	बलवन्त	सोना देवी
28	गजेन्द्र सिंह	बलवन्त
29		गजेन्द्रसिंह

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......चाँजी तल्ली

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु ....–....... **है0 आरक्षित वन भूमि** ...0.318... **है0 सिविल सोयम भूमि** ....–....... **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** ...0.318... **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** ...चाँजी तल्ली... द्वारा दिनांक–...12-1-17... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...चाँजी तल्ली... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत चाँजी तल्ली ... (टिहरी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 12-1-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चांजी तल्ली

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	सत्येसिंह कैन्तुरा पुत्र प्रेमसिंह कैन्तुरा	सत्येसिंह
2-	विरेन्द्रसिंह रावत " पूर्णसिंह रावत	विरेन्द्रसिंह
3-	प्रेमलाल शाह " हिरशाह	प्रेमलाल
4-	अब्बलसिंह कैन्तुरा " नारायणसिंह कैन्तुरा	अब्बलसिंह
5-	उत्तमसिंह " " इन्द्रसिंह कैन्तुरा	उत्तमसिंह
6-	राजेन्द्र सिंह "	राजेन्द्रसिंह
7	कुन्जी लाल "	कुन्जीलाल
8	किंदू "	किंदू
9	प्यिरजू "	प्यिरजू
10	रिंकू	रिंकू
11	दिनेश लाल	दिनेश लाल
12	~~सुन्द~~ सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
13	बिन्दू	बिन्दू
14	रमेश लाल	रमेश लाल
20	सूरत सिंह	सूरत सिंह
21	अब्बतार सिंह	अब्बतार सिंह
22	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्रसिंह
23	रगबीर सिंह	रगबीर सिंह
24	आशा लाल	आशा लाल
25	कनी लाल	[illegible]
26	अमर लाल	[illegible]
27	दरवान सिंह	[illegible]
28	रविन्द्र सिंह	रविन्द्रसिंह
29	~~कै~~ महेन्द्र [illegible]	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत चांजी तल्ली
ह0............
दि0............
वि0ख0- भिलंगना, टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूण मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम– घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

(ग्राम सभा – करखेड़ी, तहसील भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल)

जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग कार्य की परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 0.770 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.640 हे0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.410 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करखेड़ी द्वारा दिनांक 30/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करखेड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड
ग्राम सचिव..................
जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रधान ग्राम पंचायत करखेड़ी
ह0 [signature]
ग्राम प्रधान
नाम..................
विकासखण्ड भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

प्रपत्र–

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूण मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम– घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

दिनांक 30/05/2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –करखेड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनोहर चौधरी पुत्र स्व॰श्री मोती	Mhr
2	धनीलाल पुत्र स्व॰श्री पुषो	धनीलाल
3	रणवीर पुत्र बंसत	Rveer
4	प्रेमलाल	Prem
5	उदय लाल पु॰ ?बरलाल	उदय लाल
6	मुरलीधर पुत्र स्व॰ धोकंधर	Murli
		प्रधान ग्राम पंचायत करखेड़ी ह0 [signature] दि0........ वि0ख0 भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)